न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 35/2013

श्री भीमराज पुत्र श्री रामपाल उम्र बालिग जाति नायक निवासी ग्राम बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. देबी पुत्र मांगू जाति मालीउम्र बालिग
2. मिश्री पुत्र मांगू जाति मालीउम्र बालिग
3. गोविन्द पुत्र मांगू जाति मालीउम्र बालिग
4. हजारी पुत्र मांगू जाति मालीउम्र बालिग
5. डालू पुत्र मांगू जाति मालीउम्र बालिग
6. सोहनी पुत्री मांगू जाति मालीउम्र बालिग
   समस्त निवासीगण ग्राम बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर।

—— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– निर्णय :– दिनांक 13.06.2016

वादी ने इस वाद में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा बरल द्वितीय स्थित अराजी खसरा न0 613 रकबा 02 किस्म गै. मु. चा. व 614 रकबा 00–03–10 व 627 रकबा 01–07–00 व 619/1452 रकबा 02 बीघा कुल किता 4 रकबा 03–12–10 बीघा तथा खसरा न0 593 रकबा 00–02–10 बिस्वा किस्म गै. मु. चा. जो मांगू पुत्र जग्गा माली की खातेदारी में चली आती थी। खातेदार मांगू जो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का पिता था उसने इन अराजियात को वादी के पिता स्व0 रामलाल वल्द भूरा जाति नायक को दिनांक 16.10.1975 को विक्रय कर कब्जा भूमि भौतिक रूप से वादी के पिता को संभला दिया था। तब से क्रेता स्व0 रामपाल व उसका वारिस वादी इस पर कब्जे काश्त एवं उपयोग में चले आते हैं। इनमें से खसरा न0 614, 619/1452 व 627 एवं चाह न0 593 का 1/3 हिस्सा तो वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज होकर वादी के नाम बतौर वारिस दर्ज चली आ रही है, लेकिन सहवन से क्रयशुदा खसरा न0 613 रकबा 02 बिस्वा गै. मु. चाह का इन्द्राज वादी के पिता के नाम नहीं हो सका है और प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया है। अतः इसे राजस्व अभिलेख में मय धोरे, फेरे व पगडंडी सहित वादी के नाम लगाने की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादीगण को वादी के फेरा धोरा पगडंडी सहित अबपाश करने में दखलंदाजी से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद में वाद पत्र को अक्षरशः अक्षर स्वीकार करते हुए विवादित चाह न0 613 वादी के नाम लगा देने में सहमति अंकित की है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बरल द्वितीय पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया। सभी सहमत पाये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1975 से प्रतिवादी के पिता स्व0 मांगू माली ने अन्य अराजियात के साथ चाह न0 613 को भी विक्रय किया है। वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बिजयनगर ग्राम बरल द्वितीय स्थित अराजी खसरा न0 613 रकबा 02 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह में मय फेरा,

धोरा, पाली, पगडंडी सहित प्रतिवादी सं0 1 से 6 के स्थान पर वादी भीमराज पुत्र रामपाल जाति नायक निवासी ग्राम बरल द्वितीय का नाम जरिये नामान्तकरण राजस्व अभिलेख जमाबंदी में लगावें।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप ... मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.04 16:51:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: